# न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

## (देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– (आंगनबाड़ी)विविध वाद सं0–114/2014 रिंकु कुमारी वनाम राज्य (जि0प्रो0पदा0,खगड़िया) 17/15–16

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 19.9.2017 | *आदेश*<br>उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 114/2014 रिंकु कुमारी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 14.08.15 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है।<br>उपरोक्त के आलोक में आंगनवाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया।<br>अपीलवाद में कहा गया है कि आंगनबाडी केन्द्र संख्या–23 मूंगा ग्राम–पंचायत समसपुर प्रखंड–गोगरी के सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन जमा किया था। उनके आवेदन के साथ चार अन्य आवेदिका भी थी। अपीलार्थी एनेक्चर–1 तांती जाति की एक मात्र अभ्यर्थी थी। और शोभा देवी पिछड़ा वर्ग के तेली जाति की है जो एनेक्चर–2 अन्तर्गत आता है। केन्द्र संख्या–23 मूंगा के पोषक क्षेत्र जाति–तांती एजेक्चर–1 की बहुसंख्यक जाति का बाहुल्य क्षेत्र है। आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–23 से उनका घर की दूरी आधा कि0मी0 है, जबकि शोभा कुमारी का आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–23 से घर की दूरी 02 कि0मी0 है। शोभा कुमारी मैपिंग क्षेत्र केन्द्र सं0–23 से बाहर की है। शोभा कुमारी का चयन अवैध ढंग से किया गया है। चयनित सेविका का घर पोषक क्षेत्र से बाहर वार्ड नं0–11 में है एवं एनेक्चर–2 की तेली जाति के है। आपीलार्थी द्वारा अपील को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर सुनवाई करते हुए अपील को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।<br>अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन किया। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीन से स्पष्ट होता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोगरी से चयन के संबंध में मंतव्य की मांग की गयी। बाल विकास परियोजना पदाकिारी, गोगरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 4.6 के अनुसार निकटतम टोला एवं वार्ड परिधी के अन्तर्गत बाहुल्य वर्ग से आने वाली एवं सर्वोच्च मेधा क्रमांक की आवेदिका शोभा कुमारी पति बैजु कुमार का चयन किया गया है। दो आवेदिका हीरा कुमारी, गायत्री कुमारी का under age होने के कारण नहीं किया गया। रिंकु कमारी | |

का 65 प्रतिशत मेघा क्रमांक होने से आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका–4 उप कंडिका 4.2 का संशोधित पत्रांक 423 दिनांक 03.02.2012 के अनुसार चयन प्रकिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। अगर बाहुल्य वर्ग में से सभी आर्हताएं प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में अन्य वर्गो को निम्नंकित क्रम देते हुए आर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेघा सूची निधारित करते हुए किया जायेगा।

1. अनुसूचित जनजाति
2. अनुसूचित जाति
3. अतिपिछड़ा वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग
5. अल्पसंख्यक
6. सामान्य

कंडिका 4.6 के अनुसार आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधी जहॉ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

निम्न न्यायालय में विपक्षी का कहना है था कि ग्राम मुंगा पंचायत समसपुर वार्ड सं0–13 में मिनी आंगनाड़ी केन्द्र संख्या–23 में सेविका पद पर किया गया है तथा कार्यरत है। नियुक्ति मार्गदर्शिका 2011 कंडिका 2.1 के तहत केन्द्र का मैपिंग कराकर किया गया है। उनका यह भी कहना था कि मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संख्य–23 के लिए सेविका पद पर नियुक्ति मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 2.1 के तहत केन्द्र का मैपिंग कराकर एवं कंडिका 4.5 के आलोक में की गयी है। उनका यह भी कहना था कि मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 6.9 के अनुसार उनका सर्वाधिक अंक 70 .2 प्रतिशत रहने के कारण किया गया तथा केन्द्र संख्या–23 वार्ड नं0–11,13,14 को लेकर मैपिंग पंजी तैयार की गयी। पोषक क्षेत्र से अन्य अभ्यर्थी के बाहर रहने के फलस्वरूप आमसभा में यह निर्णय लिया गया कि वार्ड परिधी के अन्तर्गत अभ्यर्थी के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर चयन किया जाय।

निम्न न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.6 एवं संशोधित के पत्रांक 423 दिनांक 03.02.2012 के आलोक में चयनित सेविका शोभा कुमारी के चयन को सही ठहराते हुए आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी कई तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही है। दैनिक समचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में 15 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित कराया गया। लेकिन फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के मेघा अंक कम रहने, पोषक क्षेत्र के नहीं रहने एवं

आर्हता पुरा नहीं करने के कारण चयन नहीं किया गया है और इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही एवं सम्यक है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 07.11.14 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता, खगड़िया। 19/9/17 — समाहर्त्ता खगड़िया। 19/9/17

ज्ञापांक 453 / विधि दिनांक 27/11/2017

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी खगड़िया को जिला न्यायालय के अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिला के वेब साइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

ह० 27/11/17
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा खगड़िया